

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Payable (Rs.)

Surcharge for Infrastructure

Development (Rs.)

Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)

Surcharge for Relief from Natural and

Man-made Calamities (Rs.)

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-RJ93843138358848V

18-May-2023 02:03 PM

NONACC (SV)/ rj3013204/ BHARATPUR/ RJ-BT

SUBIN-RJRJ301320476719187297826V

OMPRAKASH SO LAKSHMINARAYAN

Article 5(g) Simple Agreement

DHOLPUR 9997 7764 0884

0

(Zero)

OMPRAKASH SO LAKSHMINARAYAN

RANDHIR SINGH SO BHAGWAN SINGH

OMPRAKASH SO LAKSHMINARAYAN

500

(Five Hundred only)

(Fifty only)

(Fifty only)

50

(Fifty only)

(Six Hundred And Fifty only)





JD 0042543011

Statutory Alert:

- 1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

 2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

 3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



किरायानामा

मै कि ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति वैश्य निवासी 55 पंचायत गली नगला खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर आधार नम्बर 9997 7764 0884

किरायेदार

व हक

मै कि रणधीर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी ऊँचा नगला तहसील व जिला भरतपुर

दुकान मालिक

यह कि दुकान मालिक की दो दुकान ऊँचा नगला तहसील व जिला भरतपुर राजस्थान को किराये पर उठाया जा रहा है जिसका एक मात्र मालिक एवं स्वामी है अन्य कोई मालिक एवं स्वामी नही है उक्त दुकान हर तरह से पाक साफ है जिसे ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति वैश्य निवासी 55 पंचायत गली नगला खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर आधार नम्बर 9997 7764 0884 को दिनांक 18.05.2023 से 11 माह के लिये उठाया जा रहा है जिसकी शर्ते निम्न अनुसार तय पायी गयी है :--

1.यह कि किरायेदार उक्त दुकान का किराया 3000/— रू. प्रतिमाह के हिसाब से दुकान मालिक को अदा कर किराया प्राप्ति की रसीद किरायेदार हासिल करता रहेगा ।किरायेदार ने किराया हर माह की एक तारीख से पांच तक अदा करना है ।

्रियह कि किरायेदार उक्त दुकान में कोई तोडफोड नहीं करेगा। दुकान को जिस हालत में किरायेदार ने प्राप्त किया है उसी हालत में मालिक दुकान को खाली करते समय दिया जाना है।

3.यह कि किरायेदार उक्त दुकान को किसी दूसरे व्यक्ति को किराये पर नहीं उठायेगा।

SHARATPIR (RAJ)



4.यह किरायेदार उक्त दुकान में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे मालिक दुकान को आपत्ति हो ।

5.यह कि किरायेदार उक्त दुकान को खाली करता है तो एक माह पूर्व लिखित में नेाटिस दुकान मालिक को देगा।

6.यह कि यदि दुकान मालिक उक्त दुकान को खाली करवाना चाहता है तो एक माह पूर्व लिखित मे नोटिस किरायेदार को देगा

7.यह कि नल व बिजली का किराया किरायेदार अलग से वहन करेगा।शर्त यह तय पायी गयी है कि यदि किरायेदारी आपसी सहमति से आगे चलती है तो किराये राशि में 10प्रतिशत और जोड़ा जायेगा।

अतः यह किरायानामा व दुरूस्ती होश हवास के साथलिख दिया कि सनद रहे समय पर काम आवे व मुकाम भरतपुर दिनांक 18.05.2023

हस्ताक्षर मालिक दुकान

२००१ मार्थे

हस्ताक्षर किरायेदार

Car



गवाह



